

कार्यसं 13017/1/81-राभा (ग), दिनांक: 13.4.1987

विषय: भारत सरकार के कार्यालयों में अनुवादकों और पुनरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा संबंधी मानकों का पुनर्निर्धारण।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को विदित है दिनांक 1 जनवरी, 1973 के कार्यालय ज्ञापन सं 20/3/70-राभा के द्वारा प्रत्येक अनुवादक के लिए प्रतिदिन 1350 शब्दों के अनुवाद की मात्रा निर्धारित की गई थी और दिनांक 2 फरवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन सं 13017/1/75-राभा (ग) के द्वारा प्रत्येक पुनरीक्षक के लिए 4700 शब्द प्रतिदिन पुनरीक्षण करने की मात्रा निर्धारित की गई थी। इन मानकों के पुनर्निर्धारण का मामला पिछले कुछ समय से इस विभाग के विचाराधीन था और कुछ मंत्रालयों/विभागों में कार्य अध्ययन कराने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि यह मानक बढ़ाए जाने का औचित्य है। दैनिक कार्य-समय में वृद्धि होने के कारण भी मानकों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है।

2. वित्त मंत्रालय (कर्मचारी निरीक्षक एकक) की सलाह पर अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुवाद कार्य को "साधारण" और "तकनीकी" रूप में वर्गीकृत किया जाए तथा कार्य मानक निम्न प्रकार किए जाएं:-

	साधारण	तकनीकी
अनुवाद	1750 शब्द प्रतिदिन	1350 शब्द प्रतिदिन
पुनरीक्षण	5800 शब्द प्रतिदिन	4000 शब्द प्रतिदिन

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद कार्य की विशेष प्रकृति को देखते हुए उस ब्यूरो में अनुवादकों के लिए प्रति अनुवादक 1300 शब्दों का मानक होगा।

3. अनुवाद की सामग्री का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाए:-

सामान्य

- (क) वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टें
- (ख) सामान्य आदेश, अनुदेश परिपत्र आदि
- (ग) संसदीय कार्य-संसद प्रश्न, आश्वासन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आदि
- (घ) नीति पत्राचार
- (ङ) विभिन्न आयोगों/कमेटियों की रिपोर्टें

तकनीकी

- (क) नीति विषयक रिपोर्टें जैसे आयात निर्यात नीति
- (ख) श्वेत-पत्र
- (ग) विभिन्न मंत्रालयों का वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य
- (घ) वैज्ञानिक तथा तकनीकी रिपोर्टें जैसे योजना आयोग, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्टें
- (ङ) मैनुअल, कोड तथा अन्य कार्यविधि साहित्य

कोई सामग्री सामान्य है या तकनीकी, इस बारे में खरिष्ट हिंदी अधिकारी/हिंदी अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा, परन्तु यदि किसी विभाग की अनुवादनीय का 25% या अधिक भाग "तकनीकी" श्रेणी में रखा जाता है तो आंतरिक कार्य अध्ययन एकक द्वारा अध्ययन आवश्यक होगा।

4. विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड द्वारा जो कार्य किया जाता है वह अन्य मंत्रालयों/विभागों से भिन्न प्रकार का होता है। इसलिए ये मानक उस खंड में कार्य कर रहे अनुवादकों पर लागू नहीं होंगे।

5. वित्त मंत्रालय, आदि से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन में दिये गये निदेश सभी संबंधितों के ध्यान में ला दें।